सेवाकर

(I) **निम्नलिखित सेवाएं अलग-अलग कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट की जाती हैं :**

(1) कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सोफ्टवेयर के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(2) यूनिट सहबद्ध बीमा कारबार, जो सामान्यतः यूनिट सहबद्ध बीमा योजना (यूलिप) नाम से ज्ञात है, स्कीम के अधीन विनिधान प्रबंधन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(3) प्रतिभूतियों के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(4) किसी माल के विक्रय या क्रय या अग्रिम संविदाओं के संबंध में किसी मान्यता प्राप्त संगम या किसी रजिस्ट्रीकृत संगम (वस्तु विनिमय) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(5) प्रतिभूतियों, मालों या अग्रिम संविदाओं में संव्यवहारों के प्रक्रमण, निकासी तथा परिनिर्धारण के संबंध में प्रक्रमण और निकासी गृह द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(6) कब्जे का अधिकार अन्तरित किए बिना मूर्त मालों की आपूर्ति तथा मूर्त मालों के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(7) इन्टरनेट दूर-संचार के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं। इसके परिणामस्वरुप, इन्टरनेट टेलीफोनी, जिसे इन्टरनेट दूर-संचार के भाग रूप में सम्मिलित किया जा रहा है, के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं के प्रतिनिर्देश का लोप किया जाएगा।

उपरोक्त परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियम के पश्चात अधिसूचित की जाए।

(II) **विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं की परिधि निम्नलिखित रूप में संशोधित की जा रही है :**

(1) ताकि इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सके,-

(i) विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अन्तर्गत बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवा के अधीन किसी प्राधिकृत व्यौहारी या प्राधिकृत धन की अदला-बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा धन की अदला-बदली भी है;

(ii) व्यष्टि द्वारा उपलब्ध कराई गई विदेशी मुद्रा दलाल सेवाओं के अधीन विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय जिसके अन्तर्गत किसी प्राधिकृत व्यौहारी या प्राधिकृत धन की अदला-बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा धन की अदला-बदली है;

(iii) स्थोरा उठाई-धराई सेवा के अधीन लदाई, उतराई, पैकिंग हटाने जैसी एक या अधिक सेवाओं सहित या रहित स्थोरा या माल के परिवहन सहित पैक करना;

(iv) तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवा के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का परीक्षण या विश्लेषण;

(v) तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन सेवा के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी का निरीक्षण, जांच तथा प्रमाणन;

(vi) टुअर प्रचालक सेवा के अधीन किसी संविदा वाहक यान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी यात्रा के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं। तथापि, किसी विषय या क्षेत्र के संबंध में कौशल या ज्ञान या शिक्षा प्रदान करने वाले किसी वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र से भिन्न किसी शैक्षणिक निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाएं अपवर्जित की जाएंगी।

किसी टूरिस्ट यान में एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी यात्रा के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर टुअर प्रचालक सेवा के अधीन सेवा कर पहले से ही उद्ग्रहणीय है।

(2) ताकि निम्नलिखित का लोप किया जा सके,-

(i) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा को एक पृथक कराधेय सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने के परिणामस्वरुप कारबार सहायक सेवा से सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के प्रतिनिर्देश को;

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा को एक पृथक कराधेय सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने के परिणामस्वरुप परामर्शी इंजीनियरी सेवा से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरी परामर्श का अपवर्जन;

(iii) 39 विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं से सेवा प्राप्तकर्त्ता के "कक्षीकार" या "ग्राहक" के रूप में प्रतिनिर्देश का लोप करने और उसके स्थान पर "कोई व्यक्ति" शब्द रखने के लिए;

उपरोक्त परिवर्तन वित्त विधेयक 2008 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) यह स्पष्ट करने के लिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, दोनों विधाओं में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा, परामर्शी इंजीनियर सेवा के अधीन भी वर्गीकरणीय होगी;

(4) शंका को दूर करके यह स्पष्ट करने के लिए कि,-

(i) कारबार सहायक सेवा के अधीन "कक्षीकार द्वारा सेवा के संवर्धन या विपणन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवा" के अंतर्गत कक्षीकार द्वारा आयोजित, संचालित या संवर्धित सट्टेबाजी के खेलों के संवर्धन या विपणन के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा भी है;

(ii) स्थावर संपत्ति को किराये पर देने संबंधी सेवा में, स्थावर संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण पर ध्यान न देते हुए स्थावर संपत्ति में स्थान के उपयोग की अनुज्ञा या अनुमति देना सम्मलित है;

(iii) प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत सेवाओं में निर्दिष्ट "संपत्ति" में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सम्मिलित है।

(III) **सेवाकर से छूट :**

(1) लघु सेवा प्रदाताओं के लिए सेवाकर छूट की वार्षिक अवसीमा को 8 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा रहा है।

(2) सेवाकर से निम्नलिखित को छूट प्रदान की जा रही है,-

(i) भारत में अवस्थित होटल में वास-सुविधा की बुकिंग के संबंध में, भारत में अवस्थित उक्त होटल द्वारा प्राप्त और भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर अवस्थित ग्राहक के लिए प्रदत्त कराधेय सेवा;

(ii) बिना शर्त माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल वाहक में सड़क से माल के परिवहन के संबंध में प्रदत्त सेवाओं के लिए मालभाड़े के रूप में भारित कुल रकम का 75% इसके परिणामस्वरुप, अधिसूचना सं. 1/2006-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2006 के अधीन प्रदत्त 75% कटौती वापस ली जाती है।

(क) 2(i) और 2(ii) में विनिर्दिष्ट छूट 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगी, और

(ख) (1) में विनिर्दिष्ट छूट 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी।

(IV) **अधिनियम और नियमों में संशोधन :**

(1) वित्त अधिनियम, 1994 का निम्नलिखित के लिए संशोधित किया जा रहा है :-

(i) सात अलग-अलग विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं और कतिपय अन्य विद्यमान कराधेय सेवाओं की सीमा विनिर्दिष्ट करने *[धारा 65]*

(ii) 7 सेवाओं को शामिल करना जिन्हें इस वर्ष के वित्त विधेयक की "सेवाकर प्रभार" से संबंधित धारा 66 में अलग-अलग रूप से कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) किसी व्यक्ति जो, "प्रभारित सकल रकम" के अधीन सेवा कर का संदाय करने का दायी है की लेखा बहियों में यथास्थिति प्रत्यय की गई या विकलित किसी रकम को शामिल करना जहां कराधेय सेवाओं का संव्यवहार किसी सहबद्ध उपक्रम के साथ है। *[धारा 67]*

(iv) धारा 71 अन्तःस्थापित करना जिससे बोर्ड को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम विरचित करने के लिए सशक्त किया जा सके जिससे किसी व्यक्ति के माध्यम से या उक्त प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सेवाकर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में ज्ञात व्यक्तियों के वर्ग के माध्यम से सेवा-कर विवरणियां तैयार करने और भरने में समर्थ बनाया जा सके;

(v) धारा 72 अन्तःस्थापित करना ताकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, निर्धारिती को जहां निर्धारिती सेवा-कर विवरणियां तैयार करने में असफल रहा है या कर निर्धारण करने में असफल रहा है अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात करने के पश्चात अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत करना;

(vi) धारा 77 को प्रतिस्थापित करने ताकि विनिर्दिष्ट उल्लघनों के लिए विनिर्दिष्ट शास्ति का उपबंध किया जा सके;

(vii) उपबंध करती है कि जहां धारा 78 के अधीन कराधेय सेवाओं के लिए मूल्य को अवरुद्ध करने के लिए शास्ति संदेय है, धारा 76 के अधीन सेवाकर संदाय में असफलता के लिए शास्ति लागू नहीं होगी। *[धारा 78]*

(viii) उपबंध करने कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश की वैधता और औचित्य के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति में राय की भिन्नता की दशा में वह मामले को बोर्ड को निर्दिष्ट करेगी। *[धारा 86(2)]*

(ix) उपबंध करने कि आयुक्त (अपील) के आदेश की वैधता और औचित्य के संबंध में आयुक्त की समिति की राय की भिन्नता की दशा में, यह मामले को अधिकारिक मुख्य आयुक्त को निर्दिष्ट करेगी। *[धारा 86(2क)]*

(x) उपबंध करने कि सेवाकर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से सेवाकर विवरणी फाइल करने के लिए स्कीम विरचित करने हेतु नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे। *[धारा 94]*

(xi) वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियमन की तारीख से एक वर्ष तक वित्त विधेयक, 2008 द्वारा निगमित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण के संबंध में कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार को आदेश जारी करने के लिए सशक्त करने। *[धारा 95]*

(क) उपर्युक्त 1(i) और 1(ii) में वर्णित परिवर्तन वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे; और

(ख) 1(iii), 1(iv), 1(v), 1(vi), 1(vii), 1(viii), 1(ix), 1(x) और 1(xi) में वर्णित परिवर्तन वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगें.

(2) सेवाकर नियम, 1994 निम्नलिखित के लिए संशोधित किए जा रहे हैं :

(i) केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में अग्रिम रूप से सेवाकर के रूप में रकम के संदाय तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए सेवाकर के संदाय के मद्दे संदत्त ऐसी रकम के समायोजन हेतु समर्थ बनाने के लिए नियम 6 में उप-नियम (1क) अंतःस्थापित करना;

(ii) संदत्त आधिक्य सेवाकर के स्वतःसमायोजन के लिए धनीय सीमा को 50,000/- रुपय से बढ़ाकर 1,00,000/- रुपय करना; *[नियम 6(4ख)(iii)];*

(iii) त्रुटियों को सुधारने और पुनरीक्षित विवरणियां फाइल करने के लिए समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने; *[नियम 7(ख)];*

(iv) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, उस दशा में जहां संदेय सेवाकर की कुल राशि शून्य है, विवरणी विलंब से फाइल करने की शास्ति को कम करने या माफ करने के लिए सशक्त करने; *[नियम 7(ग)];*

उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होंगें।

(3) सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 का निम्नलिखित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है,-

(क) माल परिवहन अभिकरण सेवा को "आउटपुट सेवा" की परिधि से अपवर्जित करने; *[नियम 2(थ)];*

यह परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।

(ख) यदि पूंजी माल आउटपुट सेवा उपलब्ध कराने के लिए है तो उन्हें बिना किसी समय निर्बंधन के आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसरों के बाहर से हटाए जाने की अनुज्ञा देने; *[नियम 3];*

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(ग) कराधेय और साथ ही छूट प्राप्त सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समान इनपुटों या इनपुट सेवाओं का उपयोग करने वाले आउटपुट सेवाओं के ऐसे प्रदाता को, जो पृथक लेखा न रखने का विकल्प ले रहा है, निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराना। आउटपुट सेवाओं के ऐसे प्रदाता,-

(i) छूटप्राप्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इनपुटों और इनपुट सेवाओं के मद्दे प्रत्यय को (जिसे नियम में विहित रीति में संगणित किया जाना है) या तो उलट सकते हैं; या

(ii) छूटप्राप्त सेवाओं के मूल्य (वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 के निबंधनानुसार अवधारित) के 8% की रकम का संदाय कर सकते हैं। *[नियम 6];*

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(घ) एक नए नियम 7क को अंतःस्थापित करने, जिससे कि आउटपुट सेवाओं के प्रदाता को, उसके अन्य कार्यालय द्वारा जारी बीजक/चालान/बिल के आधार पर इनपुटों और पूंजी मालों पर प्रत्यय लेने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक प्रक्रिया विहित की जा सके।

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(4) सेवाओं का निर्यात नियम, 2005 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रानिक नेटवर्क, जिसके अंतर्गत कोई कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य साधन भी है, के माध्यम से सेवा के उपबंध के समय भारत से बाहर अवस्थित मालों या सामग्री या स्थावर संपत्ति के संबंध में दूर से उपलब्ध कराई गई निम्नलिखित सेवाओं को सेवाओं के निर्यात के रूप में माना जा सके, अर्थात,-

(क) प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत;

(ख) तकनीकी परीक्षण और विशलेषण; और

(ग) तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन *[नियम 3(1)(ii)]* ।

उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च, 2008 को प्रभावी होगा।

(5) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त की गई) नियम, 2006 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रानिक नेटवर्क, जिसके अंतर्गत कोई कंपम्यूटर नेटवर्क या अन्य साधन भी है, के माध्यम से सेवा के उपबंध के समय भारत में अवस्थित मालों या सामग्री या स्थावर संपत्ति के संबंध में दूर से उपलब्ध कराई गई निम्नलिखित सेवाओं को सेवाओं के आयात और विलोम प्रभार पद्धति के अधीन सेवाकर से उद्ग्रहणीय के रूप में माना जाएगा, अर्थात,-

(क) प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत;

(ख) तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण; तथा

(ग) तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन *[नियम 3(ii)]*

उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।

(6) संकर्म संविदा (सेवाकर के संदाय के लिए संरचना स्कीम) नियम, 2007 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि संकर्म संविदा के अधीन सेवाकर के संदाय के वैकल्पिक स्कीम के लिए विहित की गई दर को संविदा के कुल मूल्य के 2% से बढ़ाकर संविदा के कुल मूल्य का 4% किया जा सके *[नियम 3(i)]*।

उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।

(v) 1.3.2008 तक लंबित सेवाकर बकाया, जिसमें पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की रकम अन्तर्वलित है, के संबंध में विवाद के समाधान के लिए एक स्कीम आरंभ की जा रही है (सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008), यह स्कीम 1 जुलाई, 2008 से 30 सितम्बर, 2008 तक के दौरान विधिमान्य है (वित्त विधेयक, 2008, का अध्याय 6 देखें)।